

"सोशल आडिट टीम का सदस्य" हेतु आवेदन पत्र

- 1— विकास खण्ड :.....
- 2— ग्राम पंचायत :.....
- 3— अभ्यर्थी का नाम :.....
- 4— पिता / पति का नाम :.....
- 5— जन्मतिथि :.....
- 6— शैक्षिक अर्हता :.....
- 7— श्रेणी : (सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसका पात्र पुत्र/पुत्री)
- 8— निवास का पता :.....
.....
- 9— मोबाइल नं० :.....

नोट: जन्मतिथि, शैक्षिक अर्हता, आरक्षित श्रेणी, निवास से संबंधित प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाए।

दिनांक
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी :

- प्रत्येक सोशल आडिट टीम में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, तथा जाबकार्ड धारक श्रमिक अथवा उसके पात्र पुत्र/पुत्री—प्रत्येक श्रेणी से एक—एक सदस्य होंगे। उक्त में से न्यूनतम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी के स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्य होने पर उसे वरीयता दी जाएगी।
- शैक्षिक अर्हता:— हाईस्कूल उत्तीर्ण। हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर चयन समिति द्वारा शैक्षिक अर्हता शिथिलनीय।
- निवास:— सोशल आडिट टीम का सदस्य नामित होने हेतु उसी विकास खण्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
- आयु:— 01 अप्रैल, 2017 को 40 से 65 वर्ष के मध्य।
- सोशल आडिट टीमों के सदस्यगण सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मात्र 31 मार्च, 2019 तक के लिए पैनल पर नामित किए जाएंगे। इस तिथि के बाद यह पैनल स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- पैनल पर नामित सदस्यगणों से केवल आवश्यकतानुसार सोशल आडिट हेतु उनकी सेवाएं प्राप्त की जाएंगी। यह भी सम्भव है कि कितिपय मामलों में अपरिहार्य कारणों से सदस्यगणों से सोशल आडिट का कार्य न लिया जा सके। सोशल आडिट का कार्य न लिए जाने की स्थिति में उन्हें किसी प्रकार का व्यवसायिक शुल्क अनुमन्य न होगा।
- सोशल आडिट के वास्तविक रूप से सम्पन्न होने पर सोशल आडिट टीम के प्रत्येक सदस्य को प्रति सोशल आडिट रु0 500/- व्यवसायिक शुल्क के रूप में अनुमन्य होगा।
- सोशल आडिट टीम के सदस्यों की सेवाएं पूर्णतया सामाजिक कार्य है। यह किसी प्रकार की नौकरी नहीं है और न ही इससे भविष्य में किसी प्रकार की नौकरी की हकदारी बनेगी।
- जिला विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र पहुँचने की अंतिम तिथि : 25 सितम्बर, 2017